न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 23/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर
.........*प्रार्थी*

बनाम

श्री देवीदास गोकलानी पुत्र श्री किशनचंद गोकलानी मैसर्स गोकलानी
एण्ड सन्स दुकान नं. 04, चर्चरोड ब्यावर, अजमेर
.......*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

—: आदेश :—

दिनांक— 22.06.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क—4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेण्र्ड शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉक्लेट (पैक्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.08.2015 को 02.20 पी.एम. पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स— गोकलानी एण्ड सन्स दुकान नं. 04, चर्चरोड ब्यावर, अजमेर पर पहूँचे श्री देवीदास गोकलानी पुत्र श्री किशनचंद गोकलानी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉक्लेट (पैक्ड) का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकारी को निरीक्षण के दौरान शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉक्लेट (पैक्ड) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 450–450 ग्राम शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉक्लेट (पैक्ड) के चार पैकेट वास्ते नमूना जॉच हेतु 600/– रूपयें श्री देवीदास गोकलानी को नगद देकर गवाह श्री अजय मोयल तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री देवीदास गोकलानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉक्लेट (पैक्ड) को चार नमूनों में अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एजे/689 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रं. अजो/एफएसएसए/2015/7708 दिनांक 18.09.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/559/एक्ट/2015 /568 दिंनांक 10.09.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच उपयोग में लिया गया शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉक्लेट (पैक्ड) सबस्टेण्र्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 02.02.2016 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 02.02.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री देवीदास गोकलानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 08.06.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 08.06.2016 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यदि जांच में शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉक्लेट (पैक्ड) सबस्टेन्र्ड पाया गया है तो इसमें अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की गलती या बदनियति नहीं है। भविष्य में इस तरह की कोई गल्ती नही की जायेगी। उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूकिं परिवादी अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधी न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया शुगर बॉइल्ड कान्फेक्सनरी लिक्वीड चॉक्लेट (पैक्ड) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। इस आशय का शपथ–पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृति नही किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्तगण को रु 10000/– (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 22.06.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.06.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
3– अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें जोन, अजमेर।
4– श्री देवीदास गोकलानी पुत्र श्री किशनचंद गोकलानी मैसर्स गोकलानी एण्ड सन्स दुकान नं. 04, चर्चरोड ब्यावर, अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner